न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 37/2024 तारीख रजू:– 24.06.2024

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

सम्पति पुत्री मिश्रा जाति मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली – प्रार्थीया

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जी तहसील हिण्डौन।
2. नाहर सिंह पुत्र पून्या
3. बनवारी पुत्र पून्या
4. मलूकी पत्नी स्व0 पून्या
5. रूमाली पत्नी स्व0 पून्या
6. मुकेश पुत्र पून्या

जाति मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली ——————अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत पिता के नाम में संशोधन किये जाने सुखी राम के स्थान पर मिश्रा दर्ज किये जाने

उपस्थित :– 1. श्री कर्मेन्द्र कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट प्रार्थीया

2. श्री महेन्द्र कुमार मीना एडवोकेट अप्रार्थी सं02 ता 5

<u>निर्णय</u> दिनांक :–27.10.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि खाता संख्या नया 1176 में प्रार्थीया का नाम सम्पति पुत्री सुखीराम दर्ज हो रहा है। जबकि प्रार्थीया सम्पति के पिता का नाम मिश्रा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि उक्त गलती सहवन से नामान्तरण भरते समय सम्पति पुत्री सुखीराम दर्ज हो गया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थीया के अन्य खाता संख्या नया 1180 में प्रार्थीया का नाम सम्पति व पिता का नाम मिश्रा दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि कार्यालय ग्राम पचांयत कटकड द्वारा अपने लेटर पेड पर प्रमाण पत्र जारी किया है जिसमें प्रार्थीया का नाम सम्पति पुत्री मिश्रा दर्ज किया गया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थीया सम्पति के पिता का सही एवं वास्तविक नाम मिश्रा है जिसे राजस्व रिकोर्ड में संशोधन किया जाकर सुखीराम के स्थान पर मिश्रा दर्ज किया जाना आवश्यक एवम न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थीया ने राजस्व रिकॉर्ड से अपनी जमाबंदी निकलवायी तो प्रार्थीया को पता चला कि प्रार्थीया के पिता का नाम सहवन से मिश्रा के स्थान पर सुखीराम दर्ज हो गया है जो न्यायहित में संशोधन किया जाना आवश्यक हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थीया का पिता का नाम में संशोधन किये जाने से किसी भी पक्षकार को या अन्य किसी को कोई हक तलफी नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थीया दिनांक 07.05.2024 को तहसीलदार जी हिण्डौन के यहां पर गयी तथा अपने पिता के नाम सुखीराम के स्थान पर सही नाम मिश्रा दर्ज करवाने के लिये कहा तो तहसीलदारजी हिण्डौन ने प्रार्थीया से सक्षम अदालत से आदेश लाने को कहा है। इस कारण यह प्रार्थना–पत्र बाबत संशोधन पेश करना आवश्यक हो गया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र अन्दर अवधि पेश किया जा रहा हैं।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के राजस्व रिकॉर्ड नया खाता संख्या 1176 में प्रार्थीया सम्पति पुत्री सुखीराम के स्थान पर सही नाम सम्पति पुत्री मिश्रा दर्ज कर संशोधन करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 2 ता 6 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा इकबालिया जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01,2,3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01,2,3 स्वीकार है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं04 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05,6,7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं05,6,7 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं08 लाइल्मी स्वीकार है। प्रार्थीया अपने पिता का नाम सुखीराम के स्थान पर मिश्रा दर्ज कराने की हकदार है और शेष इबारत जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09,10 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं09,10 कानूनी है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं011 स्वीकार है।

विशेष उज्रात मजीद :–

1. यह कि खाता संख्या नया–1176 में सम्पति पुत्री सुखीराम हिस्सा 1/2 जाति मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डौन के बजाय सम्पति पुत्री मिश्रा हिस्सा 1/2 अंकन शुद्ध फरमाया दिया जाये तो अप्रार्थीगण को कोई हक तल्फी नहीं है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया/वादीया के नाम के आगे पिता मिश्रा अंकित कर दिया जावे तो अप्रार्थीगण को किसी प्रकार भी कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थी सं01 ने पत्रांक एलआर/2025/812 दिनांक 14.05.2025 से उक्त प्रकरण में मुताविक पटवारी हल्का कटकड की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार कटकड से प्राप्त पत्र क्रमांक एलआर/2025/222 दिनांक 23.04.2025 के आधार पर जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं01 स्वीकार है। पटवारी हल्का कटकड से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 21.04.2025 के अनुसार मुताविक जमाबन्दी ग्राम कटकड़ जमाबन्दी सं0 2071–74 जमाबन्दी 2074 (वर्ष 2018) से स्थायी जमाबन्दी खाता संख्या 1176 में खातेदार सम्पति पुत्री सुखीराम ह01/2 जाति मीना सा०देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है उक्त नाम जमाबन्दी में स्वीकृतशुदा नामान्तकरण सं० 1770 (विरासत) स्वीकृत दिनांक 05.09.2018 बाद स्वीकृति ग्राम पंचायत कटकड द्वारा खातेदार सुखीराम पुत्र मिश्रा हिस्सा पूर्ण जाति मीना के फौत होने के बाद नामान्तकरण अमल दरामद हुआ। उक्त खाते के साथ ही मूल खातेदार सुखीराम पुत्र मिश्रा की खातेदारी भूमि खाता

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

संख्या 1177. 1180 में भी विरासत नामान्तकरण अमल दरामद स्वीकृत हुआ। प्रार्थी / खोदार द्वारा स्वीकृतशुदा नामान्तकरण सं० 1770 में अपने नाम दर्ज वल्दियत की अशुद्धि को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में माननीय शिविर प्रभारी के समक्ष पेश किया गया। जिसकी बाद सुनवाई मुताविक आदेश संख्या 33 दिनांक 11.10.2021 एवं तहसीलदार महोदय के आदेश कमांक 26 दिनांक 11.10.2021 की पालना में न्यायालय आदेश नामान्तकरण संख्या 2040 दिनांक 09.02.2022 से जमाबन्दी खाता संख्या 1177 व 1180 में खातेदार सम्पति पुत्री सुखीराम के स्थान पर सम्पति पुत्री मिश्रया जाति मीना के नाम नामान्तकरण दिनांक 15.09.2022 को स्वीकृत अमल दरामद हुआ। खाता संख्या 1177 एवं 1180 में न्यायालय आदेश से नाम संशोधन उपरान्त मूल विरासत नामान्तकरण सं0 1770 में अंकित खाता संख्या 1176 में सम्पति पुत्र सुखीराम के नाम से संशोधन प्रार्थी द्वारा नहीं करवाया गया, जो कि आदिनांक जमाबन्दी में यथावत है। स्वीकृत शुदा नामान्तकरण न्यायालय आदेश 2040 अनुसार हाल जमाबन्दी खाता संख्या 1176 में खातेदार सम्पति पुत्री सुखीराम के बजाय सम्पति पुत्री मिश्रया जाति मीना किया जाना खातेदार के हक में न्यायोचित है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02,3 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं02, 3 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं04 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05,6,7 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 5,6,7 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं08 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया दिनांक 07.05.2024 को इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई। प्रार्थीया के पिता का नाम सुखीराम के स्थान पर मिश्रया संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं013,14,15 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 13,14,15 कानूनी है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम कटकड की जमाबन्दी खाता संख्या 1176 में खातेदार सम्पति पुत्री सुखीराम के बजाय सम्पति पुत्री मिश्रया जाति मीना संशोधन किया जाना खातेदार के हक में न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील प्रार्थीया ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071—74 किता 2, फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 1770 दिनांक 31.07.2018 ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन, कार्यालय ग्राम पंचायत कटकड के श्री साबूलाल मीना वार्ड पंच, वार्ड नं012 ने प्रमाण पत्र जारी, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक सुखीराम मीना पुत्र मिश्रा मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डौन रजिस्ट्रीकरण सं0 08107005220006500025/2017 दिनांक 24.11.2017 पेश किये हैं।

वकील प्रार्थीया उपस्थित। वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071—74 के अनुसार विवादित आराजी नया खाता सं0 1176 के खसरा 4278 रकबा 0.34 है0, 4287/1 रकबा 0.23 है0, 4289/1 रकबा 0.08 है0, 4290/1 रकबा 0.16 है0, 4291 रकबा 0.38 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.19 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन की खातेदारी नाहरसिंह पुत्र पून्या हि01/10, बनवारी पुत्र पून्या हि01/10, मुकेश पुत्र पून्या हि01/10, मलूकी पुत्री पून्या हि01/10, रूमाली पत्नि स्व0 पून्या हि01/10, सम्पति पुत्री सुखीराम हि0 1/2 जाति मीना सा0देह खातेदर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071—74 के अनुसार विवादित आराजी नया खाता सं0 1177 के खसरा 4512/ 4300 रकबा 0.01 है0, 4513/4305 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन की खातेदारी नारायण पुत्र रम्मू हि0 1/9, नाहरसिंह पुत्र पून्या हि01/30, बनवारी पुत्र पून्या हि01/30, मुकेश पुत्र पून्या हि01/30, मुरारी पुत्र मंगू हि0 1/3, मलूकी पुत्री पून्या हि01/30, रूमाली पत्नि स्व0 पून्या हि01/30, रामसिंह पुत्र रम्मू हि0 1/9 सम्पति पुत्री मिश्रया हि0 1/6 जाति मीना सा0देह खातेदर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 1770 दिनांक 31.07.2018 ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन खाता सं0 1176, 1177, 1180 का सुखीराम पुत्र मिश्रा के स्थान पर उसके वारिसान के नाम भरकर तस्दीक किया गया है जिसमें नया खाता सं0 1176, 1177, 1180 सम्पति पुत्री सुखीराम जाति मीना के नाम व अन्य वारिसान के नाम भरकर तस्दीक कियागया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिंण्डौन सिटी (करौली)

कार्यालय ग्राम पंचायत कटकड के श्री साबूलाल मीना वार्ड पंच, वार्ड नं012 ने प्रमाण पत्र जारी कर प्रमाण पत्र में अंकित किया है कि प्रमाणित किया जाता है कि सुखीराम पुत्र मिश्रया के निम्न वारिस है, नाहरसिंह, बनवारी, मुकेश पि0 पून्या, सम्पति पुत्री मिश्रया उसकी बहिन है। मलूकी पुत्री पून्या है। जिससे मैं भली भॉति परिचित हूँ।

फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक सुखीराम मीना पुत्र मिश्रा मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डौन रजिस्ट्रीकरण सं0 08107005220006500025/2017 दिनांक 24.11.2017 को जारी किया गया है।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार हिण्डौन ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र के साथ पटवारी हल्का कटकड तहसील हिण्डौन की जॉच रिपोर्ट दिनांक 10.04.2025 पेश की है। पटवारी हल्का ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अंकित किया है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उनवान सम्पति बनाम राज0 सरकार दावा मु0नं0 37/2024 में आपके कार्यालय आदेशानुसार जवाब चाहा गया मताबिक जमाबन्दी ग्राम कटकड जमाबन्दी संवत् 2071–2074 जमाबन्दी 2074 (वर्ष 2018) से स्थायी जमाबन्दी खाता सं. 1176 में खातेदार सम्पति पुत्री सुखीराम हि. 1/2 जाति मीना सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है उक्त नाम जमाबन्दी में स्वीकृत शुदा नया सं. 1170 (विरासत) स्वीकृत दिनांक 5/9/2018 वाद स्वीकृति ग्राम पंचायत कटकड द्वारा खातेदार सुखीराम पुत्र मिश्रा हि. पूर्ण जाति मीना के फोत नामा. बाद अमल दरामद हुआ उक्त खाते के साथ ही मूल खातेदार सुखीराम पुत्र मिश्रा की खातेदारी भूमि खाता सं. 1177, 1180 में भी विरासत नामा. अमल दारामद स्वीकृत हुआ प्रार्थीया/खातेदार द्वारा स्वीकृत शुदा नामा. 1770 में अपने नाम में दर्ज वल्दियत की अशुद्धि को प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 में माननीय शिविर प्रभारी के समक्ष पेश किया गया जिसकी वाद सुनवाई मुताबिक आदेश संख्या/33 दिनांक 11/10/21 एवम् तहसीलदार महोदय आदेश कमांक 26 दिनांक 11/10/2021 की पालना में न्याया. आदेश नामा. सं. 2040 दिनांक 9/2/2022 से जमाबन्दी खाता सं. 1177 एवम् 1180 में खातेदार सम्पति पुत्री सुखीराम के स्थान पर सम्पति पुत्री मिश्रया जाति मीना के नाम नामा. 15/9/2022 को स्वीकृत अमल दरामद हुआ। खाता सं. 1177 एवं 1180 में न्या. आदेश से नाम संशोधन उपरान्त मूल विरासत नामा. 1770 में अंकित खाता सं. 1176 में सम्पति पुत्री सुखीराम के नाम से संशोधन प्रार्थी द्वारा नहीं करवाया गया जो कि आदिनांक जमाबन्दी में यथावत है।

अतः स्वीकृत शुदा नामा. न्याया. आदेश 2040 अनुसार हाल जमाबन्दी खाता सं. 1176 में खातेदार सम्पति पुत्री सुखीराम के बजाय सम्पति पुत्री मिश्रया जाति मीना किया जाना खातेदार हक में न्यायोचित होगा।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया के पिता का सही नाम मिश्रया है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पिता का नाम सुखीराम दर्ज हो गया है। जिसकी प्रार्थीया दुरूस्ती कराने का अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी नया खाता सं0 1176 के खसरा 4278 रकबा 0.34 है0, 4287/1 रकबा 0.23 है0, 4289/1 रकबा 0.08 है0, 4290/1 रकबा 0. 16 है0, 4291 रकबा 0.38 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.19 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन में खातेदार सम्पति पुत्री सुखीराम हि0 1/2 जाति मीना सा0देह खातेदार के स्थान पर सम्पति पुत्री मिश्रया हि0 1/2 जाति मीना सा0देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 27/10/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली